

**भारतीय रिज़र्व बैंक (भुगतान बैंक - आरक्षित नकदी निधि अनुपात और सांविधिक चलनिधि अनुपात) निदेश 2025 (22 जनवरी 2026 तक अद्यतन)**

**विषयसूची**

अध्याय I – प्रारंभिक .....	2
अध्याय II - आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) .....	9
अध्याय III - सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) .....	14
अध्याय IV - एसएलआर की गणना के लिए प्रक्रिया .....	18
अध्याय V – रिपोर्टिंग .....	19
अध्याय VI – दंड .....	23
अध्याय VII – निरसन और अन्य प्रावधान .....	25
अनुबंध – I .....	27
अनुबंध – II .....	36

बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 42 और समय-समय पर संशोधित बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 18 और 24 के अनुसरण में, और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक (जिसे आगे 'आरबीआई' या 'रिज़र्व बैंक' कहा जाएगा) को सक्षम करने वाले अन्य सभी प्रावधानों/कानूनों के अनुसार, आरबीआई इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में आवश्यक और समीचीन है, एतद्वारा, इसके बाद विनिर्दिष्ट निदेश जारी करता है।

## अध्याय I – प्रारंभिक

### ए. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

1. इन निदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक (भुगतान बैंक - आरक्षित नकदी निधि अनुपात और सांविधिक चलनिधि अनुपात) निदेश 2025 कहा जाएगा।
2. ये निदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

### बी. प्रयोज्यता

3. ये निदेश भुगतान बैंकों (जिन्हें आगे सामूहिक रूप से 'बैंक' या 'पीबी' और व्यक्तिगत रूप से 'पीबी' या 'बैंक' कहा जाएगा) पर लागू होंगे।
4. आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) के रखरखाव की सूचना सांविधिक रिटर्न **फॉर्म ए** के तहत आरबीआई को दी जाएगी।
5. सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के रखरखाव की सूचना सांविधिक रिटर्न **फॉर्म VIII** के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक को दी जाएगी।

### सी. परिभाषाएँ

6. इन निदेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इसमें प्रयुक्त शब्दों का अभिप्राय नीचे दिए गए अनुसार होगा:

- (1) 'समग्र जमाराशियों' का अर्थ है मांग और मियादी जमाओं का योग।
- (2) 'बचत बैंक खाते को मांग देयता और मियादी देयता में प्रभाजन': बैंक निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार बचत बैंक खाते को मांग देयता और मियादी देयता में प्रभाजन का कार्य करेगा:

(i) भारतीय रिज़र्व बैंक अनुसूचित बैंक विनियमावली, 1951 के विनियम 7 के अनुसार, बैंक को 31

मार्च और 30 सितंबर को कारोबार की समाप्ति पर अपनी बचत बैंक जमाओं के अनुपात की मांग और मियादी देयताओं में गणना करनी होती है।

(ii) छमाही अवधि के दौरान प्रत्येक महीने में बनाए रखे गए न्यूनतम शेष राशि (प्रत्येक खाते में) का औसत बैंक द्वारा बचत बैंक जमाओं के "मियादी देयता" को दर्शाने वाली राशि के रूप में माना जाएगा। जब ऐसी राशि आधे वर्ष की अवधि के दौरान बनाए रखे गए वास्तविक शेष राशि के औसत से घटा ली जाती है, तो बची राशि "मांग देयता" भाग को दर्शाएगी।

(iii) प्रत्येक छमाही के लिए प्राप्त मांग और मियादी देयताओं के अनुपात को अगले आधे वर्ष के दौरान सभी रिपोर्टिंग पखवाड़े के लिए बचत बैंक जमा की मांग और मियादी देयता घटकों को प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाएगा।

(3) 'अनुमोदित प्रतिभूतियां/एसएलआर प्रतिभूतियां': निम्नलिखित प्रतिभूतियों को अनुमोदित प्रतिभूतियों (अनुमोदित प्रतिभूतियों को सामान्य रूप से एसएलआर प्रतिभूतियों के रूप में जाना जाता है) के रूप में माना जाएगा:

(i) बाजार उधारी कार्यक्रम और बाजार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत समय-समय पर जारी की गई भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां;

(ii) भारत सरकार का खजाना बिल;

(iii) <sup>1</sup>बाजार उधारी कार्यक्रम के अंतर्गत समय-समय पर जारी राज्य सरकारों के राज्य विकास ऋण।

(iv) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित (जब कभी भी निर्धारित किया जाए) किया गया अन्य कोई लिखत।

#### **व्याख्या:**

(ए) फॉर्म ए रिटर्न और इसके अनुबंधों के लिए, बैंकों को अपने निवेश पुस्तिका के आधार पर अर्थात् भारग्रस्त प्रतिभूतियों सहित अनुमोदित प्रतिभूतियों में कुल निवेश का विवरण देना चाहिए।

(बी) एसएलआर उद्देश्य के लिए, अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश का केवल भाररहित हिस्सा निर्दिष्ट एसएलआर आस्तियों की अर्हता प्राप्त करने योग्य होगा। हालांकि, निम्नलिखित एसएलआर प्रतिभूतियों को एसएलआर उद्देश्य के लिए भारग्रस्त प्रतिभूतियों के रूप में नहीं माना जाएगा और इसलिए वे भी विनिर्दिष्ट एसएलआर आस्ति की अर्हता प्राप्त करेंगे:

i. अग्रिम या किसी अन्य ऋण व्यवस्था के लिए किसी अन्य संस्थान के पास उस सीमा तक

---

<sup>1</sup> राज्य विकास ऋणों को अब राज्य सरकार प्रतिभूतियों के रूप में जाना जाता है।

रखी गई प्रतिभूतियां जिन प्रतिभूतियों को आहरित नहीं किया गया है अथवा जिनको भुनाया नहीं गया है;

- ii. संबंधित बैंक के आवश्यक एसएलआर पोर्टफोलियो के लिए निर्धारित भारत में कुल एनडीटीएल के अनुमेय प्रतिशत तक सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) से चलनिधि सहायता प्राप्त करने के लिए रिज़र्व बैंक को जमानत के रूप में रखी गई प्रतिभूतियां;
- iii. आरबीआई-एलएएफ और मार्केट रेपो लेनदेन के अंतर्गत बैंकों द्वारा प्राप्त की गई प्रतिभूतियां।

(4) 'बैंकिंग प्रणाली के पास आस्ति' का अर्थ निम्नानुसार होगा:

- (i) चालू खाते में बैंकों के पास शेष राशि, बैंकों और अधिसूचित वित्तीय संस्थानों के पास अन्य खातों में शेष राशि, ऋण या एक पखवाड़े या उससे कम अवधि की मांग या अल्प सूचना पर प्रतिदेय जमा के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली को उपलब्ध कराई गई निधि और बैंकिंग प्रणाली को उपलब्ध कराए गए मांग या अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि के अतिरिक्त अन्य ऋण शामिल हैं।
- (ii) बैंकिंग प्रणाली से देय अन्य कोई राशि जिसे उपर्युक्त मदों में से किसी के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, को भी बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियों के रूप में लिया जाना है।

(5) 'औसत दैनिक शेष' का अर्थ है एक पखवाड़े के प्रत्येक दिन के कारोबार की समाप्ति पर बची शेष राशि का औसत।

(6) 'भारत में बैंक ऋण' का अर्थ सभी बकाया ऋण और अग्रिमों से होगा जिसके लिए प्रावधान किए गए हैं और/या पुनर्वित्त प्राप्त किया गया है {लेकिन दायित्व रहित पुनर्बट्टाकृत बिल और प्रधान कार्यालय स्तर पर बट्टे खाते में डाले गए अग्रिमों (यानी तकनीकी बट्टे खाते में डाले गए) के अतिरिक्त}।

(7) निर्धारित फॉर्म ए रिटर्न में जहां कहीं भी 'बैंकिंग प्रणाली' अथवा 'बैंक' दिखाई देता है, उसका अर्थ बैंक और किसी अन्य वित्तीय संस्थान से होगा जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42

(1) (घ) के अंतर्गत दी गई व्याख्या के उप-खंड (i) से (vi) में संदर्भित किया गया है।

(8) अनुसूचित बैंक द्वारा रखी जाने वाली 'नकदी' में निम्नलिखित शामिल होंगे,

- (i) हाथ में नकदी,
- (ii) भारत के अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के चालू खातों में निवल शेष राशि।
- (iii) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 11 की उप-धारा (2) के अंतर्गत भारत के बाहर गठित किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा रिज़र्व बैंक के पास रखी गई अपेक्षित जमा राशि;
- (iv) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 के अंतर्गत किसी पीबी द्वारा

रिज़र्व बैंक के पास बनाए रखे जाने वाली शेष राशि से अधिक की कोई भी शेष राशि;

(v) स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) के तहत किसी बैंक द्वारा आरबीआई के पास रखी गई कोई भी शेष राशि।

(9) 'भारत में नकदी/हाथ में नकदी' में बैंक शाखाओं/एटीएम/बैंक द्वारा रखे गए नकद जमा मशीनों में रखे गए कुल रुपये के नोट और सिक्के शामिल होंगे, जिनमें बैंक बहियों में अंतरण में शामिल नकदी के साथ-साथ कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) के पास उपलब्ध नकदी भी शामिल है, लेकिन जहां नकदी का भौतिक कब्जा आउटसोर्स विक्रेताओं/बीसी के पास है, जो बैंक के एटीएम में वापस मंगाया नहीं जाता है और/या बैंक की खाता बहियों में परिलक्षित नहीं होता है; उन्हें इसमें शामिल नहीं किया जाएगा।

(10) 'संबंधित नए बैंक' से बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 3 अथवा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 3 के अंतर्गत गठित संबंधित नए बैंक से अभिप्रेत है।

(11) 'मान्यताप्राप्त नकदी' एसएलआर रखरखाव के उद्देश्य से भारत में रखा गया नकदी होगा और जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

(i) इन निदेशों के पैरा 6(9) में यथापरिभाषित हाथ में नकदी।

(ii) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 11 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अपेक्षित और भारत के बाहर गठित किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा रिज़र्व बैंक के पास रखा गया जमा।

(iii) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 के अंतर्गत किसी अनुसूचित बैंक द्वारा रिज़र्व बैंक के पास बनाए रखे जाने वाले शेष राशि से अधिक का कोई भी शेष;

(iv) भारत में अन्य एससीबी के पास चालू खातों में निवल शेष।

(v) स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) के तहत किसी बैंक द्वारा आरबीआई के पास रखी गई कोई भी शेष राशि।

(12) 'मांग जमा' का अर्थ बैंक द्वारा प्राप्त जमा होगा जो मांग पर वापस लिया जा सकता है और इसमें चालू जमा, बचत जमाओं का मांग वाला भाग, ओवरड्राफ्ट में जमा शेष, नकद ऋण खाते, मांग पर देय जमा, अतिदेय जमा, नकद प्रमाण पत्र आदि शामिल होंगे।

(13) 'मांग देयताओं' का अर्थ बैंक की देयताओं से होंगी जो मांग पर देय हैं और इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

(i) चालू जमा,

- (ii) बचत बैंक जमाओं की मांग देयताओं का हिस्सा,
- (iii) साख/गारंटी पत्रों के बदले रखा गया मार्जिन,
- (iv) अतिदेय सावधि जमा, नकदी प्रमाणपत्र और संचयी/आवर्ती जमा में शेष राशि,
- (v) बकाया तार अंतरण (टीटी), डाक अंतरण (एमटी), मांग ड्राफ्ट (डीडी),
- (vi) बिना दावा वाले जमा,
- (vii) नकद ऋण खाते में नकदी शेष,
- (viii) मांग पर देय अग्रिमों के लिए जमानत के रूप में रखी गई जमाराशियाँ।

**स्पष्टीकरण:** बैंकिंग प्रणाली के बाहर से मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि को अन्य के लिए देयता के बदले दिखाया जाएगा।

(14) 'पखवाड़ा' से तात्पर्य प्रत्येक कैलेंडर माह के पहले दिन से पंद्रहवें दिन तक या प्रत्येक कैलेंडर माह के सोलहवें दिन से अंतिम दिन तक की अवधि से है, जिसमें दोनों दिन शामिल हैं।

(15) 'भारत में निवेश' में अनुमोदित सरकारी प्रतिभूतियों और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों (नीचे दिए गए व्याख्या अनुसार) में निवेश शामिल होगा। इनमें बैंक की निवेश पुस्तिका के अनुसार ऋण भारसहित और ऋण भाररहित दोनों प्रतिभूतियां शामिल होंगी।

(आरबीआई-एलएएफ और मार्केट रेपो के अंतर्गत बैंकों द्वारा अधिग्रहीत प्रतिभूतियों के अतिरिक्त)।

(16) 'भारत में अन्य सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश' का अर्थ ऐसी सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से होगा जो अनुमोदित प्रतिभूतियां नहीं {जैसे उदय बांड के रूप में जारी राज्य विकास ऋण (एसडीएल)} हैं।

(17) 'नकदी समायोजन सुविधा (एलएएफ)' से तात्पर्य भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर संचालित नियत और परिवर्ती दर वाले रेपो परिचालन (चलनिधि के अंतर्वेशन के लिए) और रिवर्स रेपो परिचालन (चलनिधि के अवशोषण के लिए) से होगा।

(18) सीमांत स्थायी सुविधा ' का अर्थ यह होगा कि पात्र बैंक अतिरिक्त एसएलआर धारिता के बदले में रिज़र्व बैंक से चलनिधि सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, वे द्वितीय पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंतिम दिन को अपने संबंधित एनडीटीएल शेष के एक निश्चित प्रतिशत तक, अपने निर्धारित एसएलआर को कम करके एक दिवसीय चलनिधि का लाभ भी उठा सकते हैं। एमएसएफ के तहत ब्याज दर एलएएफ रेपो दर से ऊपर होगी, जैसा कि आरबीआई द्वारा समय-समय पर तय किया गया है।

<sup>2</sup> दिनांक 11 दिसंबर 2025 के भारतीय रिज़र्व बैंक (भुगतान बैंक - आरक्षित नकदी निधि अनुपात और सांविधिक चलनिधि अनुपात) (संशोधन) निदेश 2025 द्वारा 15 दिसंबर 2025 को संशोधित।

(19) 'बाजार उधार कार्यक्रम' का अर्थ सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006, लोक ऋण अधिनियम, 1944 के प्रावधानों द्वारा अभिशासित और इस संबंध में जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए अनुसार नीलामी या किसी अन्य विधि के माध्यम से इन अधिनियमों के अधीन बनाए गए विनियमों के अंतर्गत भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा जनता से जुटाए गए और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बाजार योग्य प्रतिभूतियां जारी करके प्रबंधित घरेलू रुपये के ऋण होगा।

(20) 'चालू खातों में निवल शेष' का वही अर्थ होगा जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 18 के स्पष्टीकरण (ग) में दिया गया है।

(21) 'अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों' से तात्पर्य ऊपर पैराग्राफ 6(3) में उल्लिखित प्रतिभूतियों के अतिरिक्त, अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में अधिसूचित अन्य सरकारी प्रतिभूतियों से है।

(22) 'अन्य मांग और आवधिक देयताएँ (ओडीटीएल)' में निम्नलिखित शामिल होंगे:

(i) जमाओं पर अर्जित ब्याज, देय बिल, बकाया लाभांश, अन्य बैंकों या जनता को बकाया राशि से संबंधित उचंत खाता शेष, शाखा समायोजन खाते में निवल जमा शेष और बैंकिंग प्रणाली में बकाया अन्य कोई ऐसी राशि जो जमा या ऋण की श्रेणी में नहीं है।

(ii) अंतर-शाखा समायोजन खाते में पांच वर्ष से अधिक समय से अलग-अलग बकाया ऋण प्रविष्टियों से संबंधित अवरुद्ध खाते में बकाया राशि, खरीदे गए/भुनाये गए बिलों पर मार्जिन राशि और विदेशों से बैंकों द्वारा उधार लिए गए सोने का अंतर। वित्तीय बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा घोषित रुपये-डॉलर संदर्भ दर के साथ गोल्ड/यूएसडी दर के लिए लंदन एएम फिक्सिंग के क्रॉसिंग के माध्यम से सोने का रूपांतरण दर रुपये में करके किया जाना है।

(iii) अपर टियर 2 और टियर 2 पूंजी के लिए पात्रता रखने वाले लिखतों के माध्यम से उधार।

#### **व्याख्या:**

ए) ऐसी देयताएँ अन्य बैंकों की ओर से बिलों की वसूली, अन्य बैंकों के कारण ब्याज आदि जैसी मदों के कारण पैदा हो सकती हैं। यदि कोई बैंक कुल ओडीटीएल से बैंकिंग प्रणाली की देयताओं को अलग नहीं कर सकता है, तो सम्पूर्ण ओडीटीएल को फॉर्म 'ए' में विवरणी की मद II (सी) 'अन्य मांग और मियादी देयताओं' के बदले दर्शाया जाना है।

(बी) समपार्श्विक व्युत्पन्नी लेनदेन के अंतर्गत प्राप्त नकदी समपार्श्विक को आरक्षित अपेक्षाओं के उद्देश्य से बैंक के एनडीटीएल में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि ये 'बाह्य देयताओं' की प्रकृति के हैं। जमा पर अर्जित ब्याज की गणना प्रत्येक रिपोर्टिंग पखवाड़े (विभिन्न प्रकार के खातों पर लागू ब्याज गणना विधियों के अनुसार) पर की जानी चाहिए ताकि इस संबंध में

बैंक की देयता उसी पाक्षिक विवरणी के कुल एनडीटीएल में उचित रूप से परिलक्षित हो।

(23) 'अनुसूचित बैंक' का अर्थ भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की दूसरी अनुसूची में शामिल बैंक।

(24) 'राज्य सहकारी बैंक' का अर्थ किसी राज्य में ऐसी प्रधान सहकारी सोसाइटी होगा, जिसका प्राथमिक उद्देश्य राज्य में अन्य सहकारी सोसाइटियों का वित्तपोषण है:

**बशर्ते कि** किसी राज्य में ऐसी प्रधान सोसाइटी के अतिरिक्त, अथवा जहां किसी राज्य में ऐसी प्रधान सोसाइटी नहीं है, राज्य सरकार उस राज्य में कारोबार करने वाली किसी एक या एक से अधिक सहकारी सोसाइटियों को भी इस परिभाषा के अर्थ के भीतर राज्य सहकारी बैंक होने की घोषणा कर सकती है।

(25) 'सावधि जमा' का अर्थ मांग जमा के अतिरिक्त अन्य कोई जमा होगा।

(26) बैंक की मांग देयताओं को छोड़कर अन्य देयताएं आवधिक देयताएं होंगी और इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

- (i) सावधि जमा,
- (ii) नकद प्रमाणपत्र,
- (iii) संचयी और आवर्ती जमा,
- (iv) बचत बैंक जमाओं की आवधिक देयताओं वाला भाग,
- (v) स्टाफ की जमानत जमाराशि,
- (vi) ऋण पत्र के बदले रखा गया ऐसा मार्जिन जो मांग पर देय नहीं है,
- (vii) अग्रिमों के लिए प्रतिभूतियों के रूप में रखी गई ऐसी जमाराशियाँ जो मांग पर देय नहीं हैं,
- (viii) जमा सोना।

(27) इसमें प्रयुक्त अन्य अभिव्यक्तियाँ, जो यहां परिभाषित नहीं हैं किन्तु बैंककारी विनियमन अधिनियम या भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम या उसके लिए या वाणिज्यिक भाषा में उपयोग किए जाने वाले किसी सांविधिक संशोधन या पुनः अधिनियमन के अंतर्गत उन्हें सौंपा गया है, का स्थिति के अनुसार वही अर्थ होगा जो उक्त अधिनियम में है।

## अध्याय II - आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर)

### ए. आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर)

7. प्रत्येक पीबी भारत में आरक्षित नकदी निधि के माध्यम से अपनी निवल मांग और मियादी देयताओं (एनडीटीएल) के कुल प्रतिशत के एक निश्चित प्रतिशत के बराबर राशि, इस तरह और ऐसी तारीखों के लिए रखेगा, जैसा कि रिज़र्व बैंक देश में मौद्रिक स्थिरता प्राप्त करने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय-समय पर आधिकारिक राजपत्र में आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) और बीआर अधिनियम, 1949 की धारा 18 (1) के अनुसार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करेगा।

### बी. वृद्धिशील सीआरआर

8. भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1 ए) के संदर्भ में, रिज़र्व बैंक अनुसूचित बैंकों से अधिनियम की धारा 42(1) के अंतर्गत निर्धारित शेष के अतिरिक्त एक अतिरिक्त औसत दैनिक शेष बनाए रखना अनिवार्य कर सकता है, जिसकी राशि रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना में निर्दिष्ट दर से कम नहीं होगी।

**बशर्ते कि** इस प्रकार की अतिरिक्त शेष राशियों की गणना अधिसूचना में निर्दिष्ट तिथि को कारोबार की समाप्ति पर बैंक की कुल एनडीटीएल के ऊपर उसकी अतिरिक्त एनडीटीएल राशि के संदर्भ में की जाएगी, जैसा कि आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 42(2) में संदर्भित विवरणी में दिखाया गया है।

### सी. सीआरआर का रखरखाव

9. भारत में प्रत्येक पीबी को भारतीय रिज़र्व बैंक के पास एक औसत दैनिक शेष बनाए रखना होगा, जिसकी राशि उसके पूर्ववर्ती दूसरे पखवाड़े के अंतिम दिन को उसके एनडीटीएल के 3.75 प्रतिशत, 3.5 प्रतिशत, 3.25 प्रतिशत और 3.0 प्रतिशत से कम नहीं होगी, जो क्रमशः 6 सितंबर, 4 अक्टूबर, 1 नवंबर और 29 नवंबर 2025 से शुरू होने वाले रिपोर्टिंग पखवाड़े से प्रभावी होगी।

### डी. दैनिक आधार पर न्यूनतम सीआरआर बनाए रखना

10. प्रत्येक पीबी रिपोर्टिंग पखवाड़े के दौरान सभी दिनों में न्यूनतम सीआरआर को आवश्यक सीआरआर के 90 प्रतिशत से कम नहीं बनाए रखेगा, इस तरह से कि प्रतिदिन बनाए गए सीआरआर का औसत रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित सीआरआर से कम नहीं होगा।

## ई. निवल मांग और मियादी देयताओं (एनडीटीएल) की गणना

11. किसी बैंक की एनडीटीएल में (क) पीबी के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 42 में परिभाषित बैंकिंग प्रणाली के पास निवल आस्तियों के लिए बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (ख) मांग और सावधि जमा या उधार या देयताओं की अन्य विविध मदों के रूप में दूसरों के प्रति देयताएं शामिल हैं।
12. इन निदेशों के उद्देश्य के लिए, रिज़र्व बैंक किसी भी लेनदेन या लेन-देन के वर्ग के संदर्भ में समय-समय पर यह निर्दिष्ट कर सकता है कि इस तरह के लेनदेन या लेनदेन को बैंक के भारत में देयता के रूप में माना जाएगा।
13. यदि कोई प्रश्न उठता है कि इन निदेशों के उद्देश्य से क्या किसी लेन-देन या एकाधिक लेन-देन को किसी बैंक के भारत में देयता के रूप में माना जाएगा, तो इस संबंध में बैंक आरबीआई से संपर्क करेगा। इस पर रिज़र्व बैंक का निर्णय अंतिम होगा।
14. भारत में बैंकों द्वारा विदेशों से प्राप्त ऋण/उधार को 'दूसरों के लिए देयताओं' के रूप में गिना जाएगा और यह आरक्षित आवश्यकताओं के अधीन होगा। दूसरी ओर, विदेशों में बैंकों द्वारा दिये गए ऋण को बैंकिंग प्रणाली की आस्ति के रूप में नहीं माना जाएगा और इसलिए अंतर-बैंक देयताओं से इन्हें घटाकर समायोजित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
15. भारत/विदेशों में लिए गए और बनाए गए अपर टियर II लिखतों को आरक्षित आवश्यकताओं के उद्देश्य से एनडीटीएल की गणना के लिए देयता के रूप में गिना जाएगा।
16. धनप्रेषण सुविधा योजना के अंतर्गत अपने प्रतिनिधि बैंक के नामे स्वीकारकर्ता बैंक द्वारा जारी किए गए ड्राफ्ट के संबंध में शेष राशि और शेष बकाया राशि को एनडीटीएल की गणना के लिए 'भारत में दूसरों के लिए देयता' के रूप में गिना जाएगा। प्रतिनिधि बैंकों द्वारा प्राप्त राशि को 'बैंकिंग प्रणाली के लिए देयता' के रूप में गिना जाएगा और इस देयता को अंतर-बैंक आस्तियों के बदले प्रतिनिधि बैंकों द्वारा समायोजित किया जा सकता है।
17. ड्राफ्ट जारी करने/ब्याज/लाभांश वारंट जारी करने के लिए बैंकों द्वारा रखी गई राशि को 'बैंकिंग प्रणाली के पास आस्ति' माना जाएगा और बैंकों के पास उन्हें अपनी अंतर-बैंक देयताओं के साथ समायोजित करने का विकल्प होगा।

18. प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर और 31 मार्च को कारोबार की समाप्ति पर स्थिति के आधार पर, भुगतान बैंकों द्वारा अपनी बचत बैंक जमाराशियों के संबंध में मांग देयताओं और सावधि देयताओं के अनुपात की गणना, दैनिक उत्पाद के आधार पर बचत बैंक जमाराशियों पर ब्याज लगाने के साथ जारी रहेगी।

### **एफ. एनडीटीएल गणना के लिए देयताओं को शामिल नहीं किया जाना**

19. नीचे उल्लिखित देयताएं सीआरआर और एसएलआर के प्रयोजन के लिए किसी बैंक की देयताओं का हिस्सा नहीं होंगी:

(1) टियर 1 और अतिरिक्त टियर 1 पूंजी के लिए अर्हक लिखतों के माध्यम से प्रदत्त पूंजी, आरक्षित निधियां, उधारी; बैंक के लाभ और हानि खाते में कोई जमा शेष; आरबीआई, एक्जिम बैंक, एनएचबी, नाबार्ड, सिडबी, नैबफिड और <sup>3</sup>आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 2 (सीसीसीआईआई) में परिभाषित अन्य विकास वित्तीय संस्थाओं से लिए गए किसी भी ऋण / पुनर्वित्त की राशि।

**बशर्ते कि** जारी करने के लिए बैंक या अन्य बैंकों की विभिन्न शाखाओं द्वारा एकत्र की गई धनराशि और अतिरिक्त टियर 1 वरीयता शेयरों के आवंटन को अंतिम रूप देने के लिए लंबित रखने के लिए आरक्षित आवश्यकताओं की गणना के उद्देश्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

(2) निवल आयकर प्रावधान,

(3) दावों के प्रति डीआईसीजीसी से प्राप्त और उसके समायोजन के लिए बैंक द्वारा धारित राशि,

(4) गारंटी लागू करके निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) से प्राप्त राशि,

(5) न्यायालय के निर्णय के लंबित दावों के तदर्थ निपटान पर बीमा कंपनी से प्राप्त राशि,

(6) न्यायालयीन रिसीवर से प्राप्त राशि,

(7) बैंकर स्वीकृति सुविधा (बीएएफ) के तहत सीमाओं के उपयोग के कारण उत्पन्न होने वाली देयताएँ,

(8) ग्रामीण गोदामों के निर्माण/नवीनीकरण/विस्तार के लिए निवेश सहायकी योजना के तहत नाबार्ड द्वारा जारी सहायकी,

(9) केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी सहायकी जो शून्य प्रतिशत सावधि जमा खाते में रखी जाती है, यदि सरकार द्वारा इस संबंध में निर्धारित नियम/शर्तें और शून्य प्रतिशत एफडीआर खाते को दिया गया लेखा/परिचालन उपचार शून्य प्रतिशत सहायकी रिज़र्व फंड खाते के समान है,

<sup>3</sup> दिनांक 22 जनवरी 2026 के भारतीय रिज़र्व बैंक (भुगतान बैंक - आरक्षित नकदी निधि अनुपात और सांविधिक चलनिधि अनुपात) संशोधन निदेश 2026 द्वारा 22 जनवरी 2026 को संशोधित किया गया।

- (10) व्यापारिक निवेश-सूची के तहत व्युत्पन्नी लेनदेन से होने वाला निवल अप्राप्त लाभ/हानि,  
 (11) अग्रिम रूप से प्राप्त आय प्रवाह जैसे वार्षिक शुल्क और अन्य शुल्क जो वापसी योग्य नहीं हैं,  
 (12) आरबीआई द्वारा अनुमोदित पात्र वित्तीय संस्थानों के साथ एक बैंक द्वारा पुनर्बट्टाकृत बिल, और  
 (13) पात्र बैंकों द्वारा नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) से दावों और उसके लंबित समायोजनों के लिए गारंटी का उपयोग करके प्राप्त राशि।

### जी. छूट प्राप्त श्रेणियाँ

20. अनुसूचित बैंकों को निम्नलिखित देयताओं पर सीआरआर बनाए रखने से छूट दी गई है:

(1) आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) (डी) में परिभाषित बैंकिंग प्रणाली के साथ आस्तियों से बैंकिंग प्रणाली की देयताओं का निवल निम्नानुसार है:

- (i) आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) के स्पष्टीकरण के खंड (डी) के तहत गणना के अनुसार बैंकिंग प्रणाली के लिए देयताएं।

किसी अनुसूचित बैंक की 'देयताओं' का कुल योग:

ए) भारतीय स्टेट बैंक,

(बी) बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 द्वारा गठित कोई संबंधित नया बैंक और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 3 द्वारा गठित कोई संबंधित नया बैंक,

(सी) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 3 के तहत स्थापित कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक,

(डी) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 5 के खंड (सी) में परिभाषित कोई बैंकिंग कंपनी,

(ई) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के खंड (सीसीआई) में परिभाषित कोई सहकारी बैंक, और

(एफ) इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य वित्तीय संस्थान

अनुसूचित बैंक को ऐसे सभी बैंकों और संस्थानों की देयताओं के योग से कम किया जाएगा।

(2) एशियाई क्लियरिंग यूनियन (एसीयू) (यूएस\$) खातों में जमा शेष;

(3) सरकारी प्रतिभूतियों के प्रति बाजार रेपो के अंतर्गत उधार ली गई निधियां।

## **एच. सीआरआर गणना**

21. बैंकों द्वारा नकदी प्रबंधन में सुधार के लिए, सरलीकरण के उपाय के रूप में, बैंकों को दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंतिम दिन के एनडीटीएल के आधार पर सीआरआर बनाए रखने के लिए एक पखवाड़े के अंतराल की अनुमति है।

**आई. सीआरआर के तहत आरबीआई के पास एससीबी द्वारा रखे गए पात्र नकद शेष पर कोई ब्याज भुगतान नहीं है**

22. भारतीय रिज़र्व बैंक एससीबी द्वारा रखे गए सीआरआर शेष पर कोई ब्याज नहीं देता है।

## अध्याय III - सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर)

### ए. सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर)

23. प्रत्येक बैंक, इन निदेशों के तहत बनाए रखने के लिए आवश्यक आरक्षित नकदी निधि के अलावा, भारत में, आस्तियों, जिसका मूल्य दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंतिम दिन को भारत में उसकी मांग और मीयादी देयताओं के कुल प्रतिशत के चालीस प्रतिशत से कम नहीं होगा, बनाए रखेगा, जैसा कि रिज़र्व बैंक, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे और ऐसी आस्तियों का अनुरक्षण ऐसे रूप में और ऐसी रीति में किया जाएगा, जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए।

### बी. एसएलआर - पात्र आस्तियां

24. प्रत्येक पीबी भारत में आस्तियों (इसके बाद 'एसएलआर आस्ति' के रूप में संदर्भित) को बनाए रखेंगे, जिसका मूल्य किसी भी दिन कारोबार की समाप्ति पर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट मूल्यांकन की विधि के अनुसार दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंतिम दिन को भारत में उनकी कुल निवल मांग और मियादी देयताएँ के 18 प्रतिशत से कम नहीं होगा।

### सी. सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ)

25. रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत बैंकों के पास रिज़र्व बैंक द्वारा शुरू की गई सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) योजना में भाग लेने का विकल्प होगा। इस योजना की विशेषताएं इस प्रकार हैं:

(1) पात्र बैंकों के पास दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंत में अपने संबंधित एनडीटीएल बकाया के दो प्रतिशत तक उधार लेने का विकल्प होगा।

(2) पात्र संस्थाएं भी इस सुविधा के तहत अपनी अतिरिक्त एसएलआर होल्डिंग्स के विरुद्ध एकदिवसीय निधि का उपयोग करना जारी रख सकेंगी।

(3) बैंकों की एसएलआर होल्डिंग उनके एनडीटीएल के दो प्रतिशत तक सांविधिक आवश्यकता से कम होने की स्थिति में, बैंकों को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 की उप धारा (2ए) के तहत जारी अधिसूचना के अनुसार इस सुविधा के उपयोग से उत्पन्न होने वाले एसएलआर अनुपालन में चूक के लिए एक विशिष्ट छूट प्राप्त करने का दायित्व नहीं होगा।

### डी. एसएलआर आस्तियां

26. पीबी द्वारा एसएलआर आस्तियों का रखरखाव निम्नानुसार किया जाएगा:

(1) नकद, या;

(2) सोना, जैसा कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 5(जी) में परिभाषित किया गया है, जिसका मूल्य वर्तमान बाजार मूल्य से अधिक नहीं है, या;

(3) निम्नलिखित में से किसी भी लिखत में भार रहित निवेश [इसके बाद सांविधिक चलनिधि अनुपात प्रतिभूतियों ("एसएलआर प्रतिभूतियां") के रूप में संदर्भित], अर्थात्:-

(i) बाजार उधार कार्यक्रम और बाजार स्थिरीकरण योजना के तहत समय-समय पर जारी भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां; या

(ii) भारत सरकार के ट्रेजरी बिल; या

(iii) बाजार उधार कार्यक्रम के तहत समय-समय पर जारी संबंधित राज्य सरकारों की राज्य सरकार की प्रतिभूतियां; या

(iv) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित कोई अन्य लिखत (जैसा और जब निर्धारित किया गया हो)।

(4) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 11 की उप-धारा (2) के तहत आवश्यक जमा और बिना भार वाली अनुमोदित प्रतिभूतियाँ, जो भारत के बाहर निगमित एक बैंकिंग कंपनी द्वारा रिज़र्व बैंक के पास की जानी हैं;

(5) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 के तहत अनुसूचित बैंक द्वारा रिज़र्व बैंक के पास रखी गई शेष राशि से अधिक की शेष राशि;

**बशर्ते कि** ऊपर उल्लिखित 0 से **Error! Reference source not found.** मदों में संदर्भित लिखत, जिन्हें रिवर्स रेपो के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक से अधिग्रहित किया गया है, एसएलआर रखरखाव के लिए पात्र आस्तियों के रूप में माने जाएंगे।

**बशर्ते आगे कि** निम्नलिखित एसएलआर-प्रतिभूतियों को एसएलआर आस्ति के रखरखाव के उद्देश्य से भारग्रस्त नहीं माना जाएगा, अर्थात्:

(i) अग्रिम या किसी अन्य क्रेडिट व्यवस्था के लिए किसी अन्य संस्था के पास जमा की गई प्रतिभूतियां, जिस सीमा तक ऐसी प्रतिभूतियों के विरुद्ध आहरित या लाभ नहीं उठाया गया है;

(ii) सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के तहत भारत में कुल एनडीटीएल के अनुमेय प्रतिशत तक चलनिधि सहायता प्राप्त करने के लिए रिज़र्व बैंक को संपार्श्विक के रूप में दी गई प्रतिभूतियां, जो संबंधित बैंक के आवश्यक एसएलआर पोर्टफोलियो से निकाली गई हों;

(iii) आरबीआई-एलएएफ और बाजार रेपो लेनदेन के तहत बैंकों द्वारा अर्जित प्रतिभूतियाँ।

**(6) स्पष्टीकरण- इस निदेश के उद्देश्य के लिए,**

- (i) ग्राहकों की सहायक सामान्य खाताबही (सीएसजीएल) सुविधाओं के तहत भारतीय समाशोधन निगम लि. (सीसीआईएल) के साथ रखे गए बैंक के गिल्ट खाते में दर्ज प्रतिभूतियों को संबंधित बैंक द्वारा किसी भी दिन के अंत में बिना भार के एसएलआर उद्देश्यों के लिए माना जा सकता है।
- (ii) सरकारी प्रतिभूतियों में त्रिपक्षीय रेपो सहित रेपो के तहत उधार ली गई निधियों को सीआरआर/एसएलआर गणना से छूट दी जाएगी और रेपो के तहत अर्जित प्रतिभूति एसएलआर के लिए पात्र होगी, बशर्ते कि प्रतिभूति अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्राथमिक रूप से एसएलआर के लिए पात्र हो जिसके तहत इसे बनाए रखने की आवश्यकता है।
- (iii) कॉरपोरेट बॉन्ड और डिबेंचर में रेपो के माध्यम से किसी बैंक द्वारा उधार को आरक्षित नकदी निधि अनुपात / सांविधिक चलनिधि अनुपात की आवश्यकता के लिए देयताओं के रूप में माना जाएगा और बैंकिंग प्रणाली के लिए ये देयताएँ जिस मात्रा में हैं, उन्हें आरबीआई अधिनियम, 1934 के धारा 42 (1)(डी) के अनुसार निवल किया जाएगा।
- (iv) सभी बैंक केवल रिज़र्व बैंक के सहायक सामान्य खाता-बही (एसजीएल) खातों में या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, प्राथमिक डीलरों (पीडी), राज्य सहकारी बैंकों और स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल) के सीएसजीएल खातों में या नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल), केन्द्रीय प्रतिभूति सेवाएँ लिमिटेड (सीडीएसएल), और भारतीय राष्ट्रीय प्रतिभूति समाशोधन निगम लि. (एनएससीसीएल) जैसे निक्षेपागार के अमूर्तकृत खातों में सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश बनाए रखेंगे।
- (v) बैंकों को फॉर्म VIII में आरबीआई के पास अपने द्वारा रखे गए एसडीएफ शेषराशि की रिपोर्ट करनी होगी, क्योंकि यह एसएलआर रखरखाव के लिए एक योग्य आस्ति है। एसडीएफ के तहत बैंकों द्वारा आरबीआई के पास रखी गई शेष राशि आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) रखरखाव के लिए पात्र नहीं होगी। इसके अलावा, अनुसूचित बैंकों को फॉर्म ए रिटर्न में आरबीआई के पास उनके द्वारा रखे गए एसडीएफ शेष की रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है।

**(7) ध्यान दें:**

- (i) सरकारी प्रतिभूति की एसएलआर स्थिति के बारे में सूचना प्रसारित करने की दृष्टि से, यह निर्णय लिया गया है कि:

(ए) भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियों की एसएलआर स्थिति

<sup>4</sup> दिनांक 22 जनवरी 2026 के भारतीय रिज़र्व बैंक (भुगतान बैंक - आरक्षित नकदी निधि अनुपात और सांविधिक चलनिधि अनुपात) संशोधन निदेश 2026 द्वारा 22 जनवरी 2026 को संशोधित किया गया।

प्रतिभूतियां जारी करते समय भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में दर्शाई जाएगी;  
तथा,

(बी) एसएलआर प्रतिभूतियों की एक अद्यतन और वर्तमान सूची रिज़र्व बैंक की वेबसाइट ([www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)) पर "सांख्यिकी" शीर्ष के तहत "भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस" लिंक के तहत पोस्ट की जाएगी।

(ii) नकद प्रबंधन बिल को भारत सरकार के ट्रेजरी बिल के रूप में माना जाएगा और इस प्रकार इसे एसएलआर प्रतिभूति के रूप में माना जाएगा।

## अध्याय IV - एसएलआर की गणना के लिए प्रक्रिया

### ए. एसएलआर के लिए एनडीटीएल की गणना

27. एसएलआर के लिए एनडीटीएल की गणना की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:

- (1) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 (2ए) के तहत एसएलआर के प्रयोजन के लिए कुल एनडीटीएल की गणना सीआरआर के लिए अपनाई गई समान प्रक्रिया पर की जाएगी।
- (2) इन निदेशों की पैराग्राफ 19 के तहत उल्लिखित देयताएँ एसएलआर के उद्देश्य के लिए भी देयताओं का हिस्सा नहीं होंगी।
- (3) अनुसूचित सहकारी बैंकों को 'बैंकिंग प्रणाली के लिए देयताएँ' में सभी परिपक्वता अवधि की अंतर-बैंक सावधि जमा/सावधि उधार देयताओं को शामिल करना आवश्यक है।
- (4) बैंक एसएलआर उद्देश्य के लिए एनडीटीएल की गणना के लिए 'बैंकिंग प्रणाली के साथ आस्ति' में सावधि जमा की अपनी अंतर-बैंक आस्ति और सभी परिपक्वता अवधि के ऋण को शामिल करेंगे।
- (5) इसके अतिरिक्त, पैरा **Error! Reference source not found.** में उल्लिखित देयताओं को एसएलआर आवश्यकता से छूट दी गई है।

### बी. एसएलआर पात्र प्रतिभूतियों का वर्गीकरण और मूल्यांकन

28. अनुमोदित प्रतिभूतियों का वर्गीकरण और मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक (भुगतान बैंक - निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन) निदेश, 2025 में यथा लागू मौजूदा अनुदेशों के अनुसार होगा।

## अध्याय V – रिपोर्टिंग

### ए. फॉर्म ए में पाक्षिक सीआरआर रिटर्न

29. भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(2) के अंतर्गत, प्रत्येक भुगतान बैंक को<sup>5</sup> संबंधित पखवाड़े की तारीख के पांच दिनों के भीतर प्रत्येक पखवाड़े के अंतिम दिन कारोबार की समाप्ति पर, फॉर्म 'ए' (अनुबंध – I) में रिटर्न भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करना होगा।

30. जहां इस तरह के प्रत्येक पखवाड़े का अंतिम दिन बैंक के एक या अधिक कार्यालयों के लिए परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत सार्वजनिक अवकाश है, ऐसे कार्यालय या कार्यालयों के संबंध में पिछले कार्य दिवस के आंकड़े के कारोबार की समाप्ति पर रिटर्न दिया जाएगा, लेकिन फिर भी इसे ऐसे पखवाड़े के अंतिम दिन से संबंधित माना जाएगा।

31. फॉर्म 'ए' में रिटर्न, रिज़र्व बैंक को निम्नलिखित के साथ प्रस्तुत किया जाएगा:

(1) फॉर्म 'ए' में रिटर्न का ज्ञापन, जिसमें चुकता पूंजी, रिज़र्व, सावधि जमा जिसमें अल्पकालिक (एक वर्ष या उससे कम की संविदात्मक परिपक्वता) और दीर्घकालिक (एक वर्ष से अधिक की संविदात्मक परिपक्वता), जमा प्रमाणपत्र, एनडीटीएल, कुल सीआरआर आवश्यकता आदि का विवरण दिया गया हो,

(2) फॉर्म 'ए' में रिटर्न का अनुबंध ए, जिसमें सभी विदेशी मुद्रा देनदारियों और आस्तियों को दर्शाया गया हो, और

(3) फॉर्म 'ए' में रिटर्न का अनुबंध बी, जिसमें अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश, अप्रमाणित प्रतिभूतियों में निवेश, प्राथमिक बाजार में शेयरों / डिबेंचर / बांडों में अभिदान और निजी स्थानन के माध्यम से अभिदान जैसे ज्ञापन मदों के बारे में विवरण दिया गया हो।

32. पीबी द्वारा फॉर्म 'ए' रिटर्न में रिवर्स रेपो लेनदेन की प्रस्तुति के लिए निम्नलिखित पद्धति का पालन किया जाना चाहिए:

(1) बैंकों के साथ रिवर्स रेपो लेनदेन की रिपोर्ट निम्नानुसार की जानी चाहिए:

(i) 14 दिनों तक की मूल अवधि के लिए

(ए) फॉर्म ए की मद III(बी) (अर्थात, मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि); और

(बी) फॉर्म ए के अनुबंध ए की ज्ञापन मद 2.1 (अर्थात अंतर बैंक आस्तियों के अंतर्गत)

(ii) 14 दिनों से अधिक की मूल अवधि के लिए

<sup>5</sup> दिनांक 11 दिसंबर 2025 के भारतीय रिज़र्व बैंक (भुगतान बैंक - आरक्षित नकदी निधि अनुपात और सांविधिक चलनिधि अनुपात) (संशोधन) निदेश 2025 द्वारा 15 दिसंबर 2025 को संशोधित किया गया।

- (ए) फॉर्म ए की मद III(सी) (अर्थात बैंकों को अग्रिम); और
- (बी) फॉर्म ए के अनुबंध ए की ज्ञापन मद 2.1 और 2.2 (अर्थात, अंतर बैंक आस्तियों के अंतर्गत)
- (2) किसी बैंक द्वारा गैर-बैंकों (अन्य संस्थाओं) के साथ किए गए रिवर्स रेपो लेनदेन की रिपोर्ट निम्नानुसार की जानी चाहिए:
- (i) 14 दिनों तक की मूल अवधि के लिए - फॉर्म ए में रिपोर्ट करना आवश्यक नहीं है।
  - (ii) 14 दिनों से अधिक की मूल अवधि के लिए - फॉर्म ए का मद VI(ए) [अर्थात भारत में बैंक क्रेडिट के तहत ऋण, नकद क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट (अंतर-बैंक अग्रिम को छोड़कर)]।

33. <sup>6</sup>[हटाया गया]

34. जब कभी पाक्षिक रिटर्न में रिपोर्ट की गई निधियों के स्रोतों और उपयोगों के बीच व्यापक भिन्नताएं हों और भिन्नताएं 20 प्रतिशत से अधिक हों, तो संबंधित बैंकों को रिटर्न में इसके लिए कारण देना चाहिए।

35. अनुसूचित बैंक विनियमावली 1951 के विनियम 5(i)(सी) के अनुसार, बैंकों को बैंकों की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों के नाम, पद और नमूना हस्ताक्षर की सूची, आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 42(2) और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 18 और 24 के तहत निर्धारित रिटर्न प्रस्तुत करना आवश्यक है। जब भी पदभार में परिवर्तन होता है, बैंक को रिज़र्व बैंक को हस्ताक्षरों का नया सेट प्रस्तुत करना होता है।

36. <sup>7</sup>बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम 2025 के तहत संशोधित नई रिपोर्टिंग संरचना के अनुसार, अनंतिम या अंतिम या विशेष फॉर्म ए रिटर्न नहीं होगा। बैंकों को केवल एक ही फॉर्म ए रिटर्न प्रस्तुत करना होगा। फॉर्म ए और फॉर्म VIII के नए संस्करण नए रिटर्न कोड के साथ केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीआईएमएस) पोर्टल पर उपलब्ध हैं। बैंकों को 15 दिसंबर 2025 से पाक्षिक फॉर्म ए रिटर्न और दिसंबर 2025 से मासिक फॉर्म VIII रिटर्न सीआईएमएस पोर्टल पर प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बैंकों द्वारा फॉर्म ए और फॉर्म VIII को हार्ड कॉपी / पेपर रिटर्न में जमा नहीं किया जाना है। बैंकों को इन रिटर्न को दो प्राधिकृत अधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षरों से सीआईएमएस पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत करना होगा। ये रिटर्न प्रस्तुत करते समय, बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ये देश के प्रचलित आईटी कानूनों के अनुरूप हों।

<sup>6</sup>दिनांक 11 दिसंबर 2025 के भारतीय रिज़र्व बैंक (भुगतान बैंक - आरक्षित नकदी निधि अनुपात और सांविधिक चलनिधि अनुपात) (संशोधन) निदेश 2025 द्वारा 15 दिसंबर 2025 को हटाया गया।

<sup>7</sup>दिनांक 11 दिसंबर 2025 के भारतीय रिज़र्व बैंक (भुगतान बैंक - आरक्षित नकदी निधि अनुपात और सांविधिक चलनिधि अनुपात) (संशोधन) निदेश 2025 द्वारा 15 दिसंबर 2025 को प्रतिस्थापित किया गया।

36 ए. १16-31 दिसंबर 2025 के पखवाड़े और जनवरी 2026 के पहले पखवाड़े (अर्थात् 1-15 जनवरी 2026) के दौरान सीआरआर और एसएलआर का रखरखाव बैंकों द्वारा क्रमशः 28 नवंबर 2025 और 15 दिसंबर 2025 को निवल मांग और मियादी देयताओं (एनडीटीएल) के आधार पर किया जाना है। 16 जनवरी, 2026 से शुरू होने वाले आगामी पखवाड़ों से, रखरखाव वर्तमान में लागू नियमों के अनुसार किया जाएगा, अर्थात् दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंतिम दिन के एनडीटीएल के आधार पर।

36 बी. १तीन दिनों की संक्रमण अवधि के दौरान, अर्थात् 13-15 दिसंबर 2025 के दौरान, बैंकों द्वारा 28 नवंबर 2025 तक की निवल मांग और मियादी देयताओं (एनडीटीएल) के आधार पर सीआरआर और एसएलआर का रखरखाव किया जाना है। इसके अलावा, बैंकों को संक्रमण काल के दौरान आवश्यक सीआरआर के सौ प्रतिशत का न्यूनतम सीआरआर बनाए रखना होगा। बैंकों को 12 दिसंबर 2025 के लिए फॉर्म ए रिटर्न भी मौजूदा रिपोर्टिंग संरचना के अनुसार प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा, बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे दिसंबर 2025 का फॉर्म VIII रिटर्न पुराने और नए दोनों रिटर्न कोड के साथ सीआईएमएस पोर्टल पर प्रस्तुत करें।

### **बी. फॉर्म VIII (एसएलआर) में रिटर्न**

37. प्रत्येक भुगतान बैंक प्रत्येक माह की 20 तारीख से पहले भारतीय रिज़र्व बैंक को फॉर्म VIII (अनुबंध – II) में रिटर्न प्रस्तुत करेगा, जिसमें तत्काल पूर्ववर्ती माह के प्रत्येक पखवाड़े के अंतिम दिन धारित एसएलआर की राशि और उस दिन भारत में धारित डीटीएल का विवरण, या यदि ऐसा कोई दिन परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत सार्वजनिक अवकाश है, तो पूर्ववर्ती कार्य दिवस के कारोबार की समाप्ति पर धारित डीटीएल का विवरण दिया जाएगा।

38. प्रत्येक अनुसूचित बैंक को फॉर्म VIII रिटर्न के अनुबंध के रूप में एक विवरण भी प्रस्तुत करना होगा, जिसमें (ए) एसएलआर के अनुपालन के उद्देश्य से रखी गई आस्तियां, (बी) निर्धारित प्रारूप में आरबीआई के पास उनके द्वारा रखे गए अतिरिक्त नकदी शेष, और (सी) प्रतिभूतियों के मूल्यांकन के साधन की दैनिक स्थिति दी जाएगी।

39. सांविधिक लेखा परीक्षक यह सत्यापित और प्रमाणित करेंगे कि बैंक की बहियों के अनुसार बाह्य देयताओं की सभी मदें बैंक द्वारा विधिवत संकलित की गई हैं तथा वित्तीय वर्ष के लिए रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत पाक्षिक/मासिक सांविधिक रिटर्न में एनडीटीएल के अंतर्गत सही ढंग से दर्शाई गई हैं।

<sup>8</sup> दिनांक 11 दिसंबर 2025 के भारतीय रिज़र्व बैंक (भुगतान बैंक - आरक्षित नकदी निधि अनुपात और सांविधिक चलनिधि अनुपात) (संशोधन) निदेश 2025 द्वारा 15 दिसंबर 2025 को जोड़ा गया।

<sup>9</sup> दिनांक 11 दिसंबर 2025 के भारतीय रिज़र्व बैंक (भुगतान बैंक - आरक्षित नकदी निधि अनुपात और सांविधिक चलनिधि अनुपात) (संशोधन) निदेश 2025 द्वारा 12 दिसंबर 2025 को जोड़ा गया।



## अध्याय VI – दंड

### ए. सीआरआर रखरखाव में चूक के लिए दंड

40. यदि किसी पखवाड़े के दौरान बैंक द्वारा धारित आरक्षित नकदी निधि (सीआरआर) का दैनिक शेष इन निदेशों के तहत या इसके द्वारा निर्धारित न्यूनतम से कम है, तो प्रत्येक बैंक नीचे उल्लिखित दंडात्मक ब्याज का भुगतान रिज़र्व बैंक को करने के लिए उत्तरदायी है।

(1) भुगतान बैंकों से निर्धारित सीआरआर के रखरखाव में कमी की स्थिति में उस दिन के लिए दैनिक आधार पर बैंक दर से तीन प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से दंडात्मक ब्याज वसूल किया जाएगा, जो उस दिन निर्धारित न्यूनतम से वास्तव में कम रखी गई राशि पर लागू होगा और यदि कमी अगले दिन/दिनों तक जारी रहती है, तो बैंक दर से पांच प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से दंडात्मक ब्याज वसूल किया जाएगा।

(2) पखवाड़े के दौरान औसत आधार पर सीआरआर के रखरखाव में कमी के मामलों में, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप-धारा (3) में परिकल्पित अनुसार दंडात्मक ब्याज वसूल किया जाएगा।

41. बैंकों को अपेक्षित सीआरआर के रखरखाव में चूक की तारीख, राशि, प्रतिशत, कारण तथा ऐसी चूक की पुनरावृत्ति से बचने के लिए की गई कार्रवाई जैसे विवरण प्रस्तुत करने होंगे।

42. भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(3ए) के प्रावधानों के तहत, बैंक दर से पांच प्रतिशत अधिक की बढ़ी हुई दर पर दंडात्मक ब्याज देय हो जाता है और यदि अगले पखवाड़े के दौरान भी चूक जारी रहती है,

(1) भुगतान बैंक का प्रत्येक निदेशक, प्रबंधक या सचिव जो जानबूझकर और इरादतन से चूक में भागीदार है, उसे 500 रुपये तक के जुर्माने से तथा चूक जारी रहने के दौरान प्रत्येक आगामी पखवाड़े के लिए 500 रुपये तक के अतिरिक्त जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

(2) रिज़र्व बैंक किसी भुगतान बैंक को उक्त पखवाड़े के बाद कोई नई जमा राशि प्राप्त करने से रोक सकता है और यदि बैंक द्वारा इस खंड में निर्दिष्ट निषेध का अनुपालन करने में चूक की जाती है, तो बैंक का प्रत्येक निदेशक और अधिकारी जो जानबूझकर और इरादतन ऐसी चूक का पक्षकार है या जो लापरवाही से या अन्यथा ऐसी चूक में शामिल है, ऐसे प्रत्येक चूक के संबंध में जुर्माना, जो ₹500 तक हो सकता है और पहले दिन के बाद इस तरह के निषेध के उल्लंघन में प्राप्त जमा राशि को अनुसूचित बैंक द्वारा बरकरार रखा जाता है, के प्रत्येक दिन के लिए आगे का जुर्माना, जो ₹500 तक हो सकता है, के साथ दंडनीय होगा।

43. रिटर्न प्रस्तुत करने में विफलता/रिटर्न देर से जमा करने पर आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 42(4) के प्रावधान लागू होंगे और बैंकों पर इसमें उल्लिखित दंड लगाया जा सकता है।

### **बी. एसएलआर रखरखाव में चूक के लिए दंड**

44. बैंक द्वारा एसएलआर की राशि को किसी भी दिन बनाए रखने में विफल होने पर, बैंक उस चूक के संबंध में रिज़र्व बैंक को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जैसा कि बीआर अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 24 के तहत परिकल्पित दंडात्मक ब्याज है।

45. निर्धारित रिटर्न समय पर प्रस्तुत न करने पर उक्त अधिनियम की धारा 46(4) के प्रावधान लागू होंगे।

46. जहां यह देखा गया है कि अनुदेशों और बार-बार सूचित करने के बावजूद बैंक लगातार चूक कर रहे हैं, वहां रिज़र्व बैंक ऐसे चूककर्ता बैंकों पर जुर्माना लगाने के अलावा, लाइसेंस प्राप्त बैंकों के मामले में लाइसेंस रद्द करने पर विचार करने कर सकता है। अतः बैंकों को अपने हित में निर्धारित दरों पर सांविधिक चलनिधि अनुपात बनाए रखना सुनिश्चित करना चाहिए और रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को अपेक्षित रिटर्न शीघ्रता से प्रस्तुत करना चाहिए।

**अस्वीकरण:** एतद्वारा यह सलाह दी जाती है कि उक्त मास्टर निदेश में केवल किसी मद को शामिल करने का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि किसी बैंकिंग संस्था द्वारा ऐसी सभी गतिविधियों को करने की अनुमति दी गई है।

## अध्याय VII – निरसन और अन्य प्रावधान

### ए. निरसन और बचाव

47. इन निदेशों के जारी होने के साथ ही, भुगतान बैंकों पर लागू आरक्षित नकदी निधि अनुपात और सांविधिक चलनिधि अनुपात से संबंधित मौजूदा निदेश, अनुदेश और दिशानिर्देश निरस्त हो गए हैं, जैसा कि दिनांक 28 नवंबर 2025 के परिपत्र [विवि.आरआरसी.आरईसी.302/33-01-010/2025-26](#) के माध्यम से सूचित किया गया है। इन निदेशों के जारी होने से पहले निरस्त किए गए निदेश, अनुदेश और दिशानिर्देश निरस्त बने रहेंगे।

48. ऐसे निरसन के बावजूद, निरस्त निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों के अंतर्गत की गई या की जाने वाली या आरंभ की गई कोई भी कार्रवाई, उनके प्रावधानों द्वारा शासित होती रहेगी। इन निरस्त सूचियों के अंतर्गत दिए गए सभी अनुमोदन या अभिस्वीकृतियाँ इन निदेशों द्वारा शासित मानी जाएँगी। इसके अलावा, इन निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों को निरस्त करने से निम्न पर किसी भी प्रकार से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा:

- (i) इसके अंतर्गत अर्जित, उपार्जित या उपगत कोई भी अधिकार, दायित्व या देयता;
- (ii) इसके अंतर्गत किए गए किसी भी उल्लंघन के संबंध में कोई जुर्माना, जब्ती या दंड;
- (iii) किसी भी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, देयता, जुर्माना, जब्ती या पूर्वोक्त दंड के संबंध में कोई जांच, विधिक कार्यवाही या उपचार; और ऐसी कोई भी जांच, विधिक कार्यवाही या उपचार शुरू किया जा सकता है, जारी रखा जा सकता है या लागू किया जा सकता है और ऐसा कोई भी जुर्माना, जब्ती या दंड लगाया जा सकता है जैसे कि इन निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों को निरस्त नहीं किया गया हो।

### बी. अन्य कानूनों के लागू होने पर रोक नहीं

49. इन निदेशों के प्रावधान वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून, नियम, विनियम या निदेश के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके प्रतिकूल।

### सी. व्याख्याएं

50. इन निदेशों के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से या इन निदेशों के प्रावधानों के अनुप्रयोग या व्याख्या में किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक, यदि आवश्यक समझे तो, इसमें

शामिल किसी भी मामले के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी कर सकता है और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इन निदेशों के किसी भी प्रावधान की दी गई व्याख्या अंतिम और बाध्यकारी होगी।

(मनोरंजन पाढ़ी)

मुख्य महाप्रबंधक

फॉर्म ए

(अनुसूचित बैंक द्वारा प्रस्तुत किया जाना है)

पखवाड़े के अंतिम दिन<sup>1</sup> को कारोबार समाप्ति पर स्थिति का विवरण ----- (निकटतम हज़ार रुपए में पूर्णांकित किया जाए)

बैंक का नाम:

**I. भारत में बैंकिंग प्रणाली के लिए देयताएं<sup>2</sup>**

- ए) बैंकों से मांग और सावधि जमा
- बी) बैंकों से उधार
- सी) अन्य मांग और मीयादी देयताएं<sup>3</sup>

**I का कुल**

**II. भारत में अन्यो के लिए देयताएं**

- ए) समग्र जमा (बैंकों के अलावा अन्य)
  - (i) मांग
  - (ii) सावधि
- बी) उधार<sup>4</sup>
- सी) अन्य मांग और सावधि देयताएं

**II का कुल**

**I + II का कुल**

**III. भारत के बैंकिंग प्रणाली में आस्तियां**

- ए) बैंकों के पास शेष राशि
  - (i) चालू खाते में
  - (ii) अन्य खातों में
- बी) मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि
- सी) बैंकों को अग्रिम यानी बैंकों से बकाया
- डी) अन्य आस्तियां

**III का कुल**

**IV. भारत में नकद (यानी, हाथ में नकदी)**

**V. भारत में निवेश (बही मूल्य पर)**

ए) केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां जिनमें ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी डिपॉजिट रसीद, ट्रेजरी बचत जमा प्रमाण पत्र और डाक बाध्यताएं शामिल हैं

बी) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां

## V का कुल

## VI. भारत में बैंक क्रेडिट (अंतर-बैंक अग्रिमों को छोड़कर)

ए) ऋण, नकद क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट

बी) खरीदे गए और भुनाए गए अंतर्देशीय बिल

(i) खरीदे गए बिल

(ii) भुनाए गए बिल

सी) खरीदे गए और भुनाए गए विदेशी बिल

(i) खरीदे गए बिल

(ii) भुनाए गए बिल

## VI का कुल

### (III+IV+V+VI) का कुल

ए. भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 के उद्देश्य से निवल देयताएं = बैंकिंग प्रणाली के निवल देयताएं + भारत में अन्यो के लिए देयताएं अर्थात यदि (I-III) गुणात्मक है तो (I-III) +II या (I-III) ऋणात्मक है तो केवल II

बी. बचत बैंक खाता (विनियमन 7 द्वारा)

(i) भारत में मांग देयताएं

(ii) भारत में सावधि देयताएं

**स्थान:**

**दिनांक:**

<sup>1</sup>जहां पखवाड़े का अंतिम दिन किसी अनुसूचित बैंक के एक या एक से अधिक कार्यालयों के लिए पराक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 के 26) के तहत एक सार्वजनिक अवकाश है, ऐसे कार्यालय या कार्यालयों के संबंध में रिटर्न पिछले कार्य दिवस का आंकड़ा दे देंगे, लेकिन फिर भी उस पखवाड़े के अंतिम दिन से संबंधित माना जाएगा।

<sup>2</sup> रिटर्न में जहां भी "बैंकिंग प्रणाली" या "बैंक" दिखाई देता है, वहां की अभिव्यक्ति से तात्पर्य बैंक और किसी अन्य वित्तीय संस्थान से है जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) के खंड (डी) की उप-धारा (i) से (vi) तक में संदर्भित किया गया है।

<sup>3</sup> यदि II (सी) से अलग I (सी) का आंकड़ा प्रदान करना संभव नहीं है, तो इसे II (सी) में शामिल किया जा सकता है। ऐसे मामले में, यदि कुल 1(ए) और 1(बी) के कुल III के कुल से अधिक है तो बैंकिंग प्रणाली के लिए निवल देयता को अतिरिक्त के रूप में तैयार किया जाएगा।

<sup>4</sup> भारतीय रिज़र्व बैंक, एक्जिम बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक, राष्ट्रीय बैंक, लघु उद्योग बैंक, राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक या अन्य विकास वित्तीय संस्थान के अलावा अन्य।

## फार्म ए के ज्ञापन

1. प्रदत्त पूंजी
  - 1.1 आरक्षित निधि
2. मीयादी जमा
  - 2.1 अल्पावधि
  - 2.2 दीर्घावधि
3. जमा प्रमाणपत्र
4. निवल मांग और मीयादी देयताएं  
(शून्य आरक्षित पर्चे के तहत देनदारियों की कटौती के बाद, अनुबंध ए)
5. सीआरआर की वर्तमान दर के अनुसार बनाए रखने के लिए आवश्यक जमा राशि
6. कोई अन्य देयता जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 और 42 (1ए) के तहत आरबीआई के वर्तमान अनुदेशों के अनुसार सीआरआर को रखने की आवश्यकता है।
7. भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 और 42 (1ए) के तहत बनाए रखने के लिए आवश्यक कुल सीआरआर

फॉर्म ए का अनुबंध ए

बैंक का नाम:

(राशि को रूपये में निकटतम हजार तक पूर्णांकित किया जाएगा)

मद	बही मूल्य पर बकाया	पुनर्मूल्यांकन मूल्य	ब्याज
1	2	3	4
विदेशी मुद्रा देयताएं			
<b>भारत में अन्यो के प्रति विदेशी मुद्रा देयताएं</b> <b>I. अनिवासी जमाराशियां</b> <b>(I.1+I.2+I.3+I.4)</b> I.1 अनिवासी विदेशी रुपया खाता (एनआरई) I.2 अनिवासी सामान्य जामाराशि (एनआरओ) I.3 विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक योजना (एफसीएनआर(बी)) (1.3.1+1.3.2) I.3.1 अल्पावधि <sup>1</sup> I.3.2 दीर्घावधि <sup>2</sup> I.4 अन्य (उल्लेख करें)			
<b>II. विदेशी मुद्रा अन्य जमाराशियां /योजनाएं</b> <b>(II.1+II.2+II.3+II.4+II.5+II.6)</b> II.1 विदेशी मुद्रा अर्जक की विदेशी मुद्रा II.2 निवासी विदेशी मुद्रा खाते (II.2.1+II.2.2) II.2.1 निवासी विदेशी मुद्रा (पुरानी योजना) II.2.2 निवासी विदेशी मुद्रा (देशी) (नई योजना) II.3 भारतीय निर्यातकों के एस्करो खाते II.4 पोत-लदान पूर्व ऋण खाते के लिए विदेशी ऋण व्यवस्था तथा बिलों की विदेशी पुनर्भुनाई II.5 एसीयू (अमेरिकी डालर) खाते में जमा शेष II.6 अन्य (उल्लेख करें)			
<b>III. भारत में बैंकिंग प्रणाली के प्रति विदेशी मुद्रा देयताएं</b> <b>(III.1+III.2)</b>			

III.1 अंतर बैंक विदेशी मुद्रा जमाराशियां			
III.2 अंतर बैंक विदेशी मुद्रा उधार			
<b>IV. विदेशी उधार<sup>3</sup></b>			
<b>विदेशी मुद्रा आस्तियां</b> <b>1. भारत में बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां</b> 1.1 विदेशी मुद्रा उधार 1.2 अन्य <b>2. भारत में अन्य के पास आस्तियां</b> 2.1 भारत में विदेशी मुद्रा में बैंक ऋण <sup>4</sup> 2.2 अन्य <b>3. विदेशों में विदेशी मुद्रा आस्तियां<sup>5</sup></b> जिनमें से, शेष नोस्ट्रो खाते के नकद घटक में रखे गए हैं			

	निकटतम हजार तक पूर्णांकित राशि (रुपये में)
<b>V. विभेदक/शून्य सीआरआर निर्धारण के अधीन अन्यो के प्रति बाहरी देयताएं (I+II)</b>	
<b>VI. सीआरआर के पूर्णतः निर्धारण के अधीन बाहरी देयताएं (IV)</b>	
<b>VII. निवल अंतर-बैंक देयताएं (फॉर्म ए का I-III)</b>	
<b>VIII. शून्य निर्धारण के दायरे के भीतर आने वाली कोई अन्य देयताएं</b>	
VIII.1 टीआरईपीएस सहित सरकारी प्रतिभूतियों में मार्केट रेपो	
VIII.2 आईबीयू	
VIII.3 ओबीयू	
VIII.4 ईसी या एलबी का न्यूनतम	
VIII.5 एफसीएनआर (बी) जमा - परिपत्र दिनांक 06 जुलाई 2022	
VIII.6 एनआरई सावधि जमा - परिपत्र दिनांक 06 जुलाई 2022	
VIII.7 जीरो प्रिस्क्रिप्शन के तहत अन्य देनदारियां	
<b>IX. शून्य सीआरआर निर्धारण के अधीन देयताएं (V+VII+VIII)</b>	
<b>ज्ञापन की मदें</b>	
<b>1. अंतर बैंक देयताएँ</b>	
1.1 कुल अंतर बैंक देयताएँ	
1.2 घटाएँ: मीयादी देयताएँ (परिपक्वता $\geq$ 15 दिन और एक वर्ष तक)	
1.3 निवल (1.1-1.2)	
<b>2. अंतर बैंक आस्तियाँ</b>	
2.1 कुल अंतर बैंक आस्तियाँ	
2.2 घटाएँ: मीयादी आस्तियाँ (परिपक्वता $\geq$ 15 दिन और एक वर्ष तक)	
2.3 निवल (2.1-2.2)	
<b>3. एसीयू डॉलर निधि</b>	

- 1 एक वर्ष अथवा उससे कम संविदात्मक परिपक्वता वाले
- 2 एक वर्ष से अधिक संविदात्मक परिपक्वता वाले
- 3 रुपयों में स्वैप न किए गए भाग से संबंधित
- 4 एफसीएनआर (बी) जमाराशियों में से ऋण

- 5 i) विदेशों में धारित शेष राशियां (अर्थात् नॉस्ट्रो खाते का नकद घटक, एसीयू (अमेरिकी डालर) खाते में नामे शेष तथा एसीयू देशों के वाणिज्यिक बैंकों में जमा शेष) ii) अल्पावधि विदेशी जमाराशियां तथा पात्र प्रतिभूतियों में निवेश iii) विदेशी मुद्रा बाजार लिखतें जिनमें खजाना बिल शामिल हैं तथा iv) विदेशी शेयर और बॉण्ड सहित।

**(प्राधिकृत अधिकारियों के हस्ताक्षर)**

**1. (पदनाम)**

**2. (पदनाम)**

बैंक का नाम:

(राशि निकटतम हजार तक पूर्णांकित रुपये में)

मद	बही मूल्य पर बकाया	पुनर्मूल्यांकन मूल्य
1	2	3
<p><b>I. अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश (I.1+I.2)</b></p> <p>I.1 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश (I.1.1+I.1.2= फॉर्म ए का मद V (ए))</p> <p>    I.1.1 अल्पावधि<sup>1</sup></p> <p>    I.1.2 दीर्घावधि<sup>2</sup></p> <p>I.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश (I.2 = फॉर्म ए का मद V (बी))</p> <p>I.3 अन्य सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश (गैर-एसएलआर)</p> <p><b>II अन्य प्रतिभूतियों में निवेश</b> (II.1+II.2+II.3+II.4)</p> <p><b>निम्नलिखित में निवेश:</b></p> <p>    II.1 वाणिज्यिक पत्र</p> <p>    II.2 म्यूच्युअल फंड की यूनितें</p> <p>    II.3 निम्नलिखित द्वारा जारी शेयर-</p> <p>        II.3.1 सरकारी क्षेत्र के उपक्रम</p> <p>        II.3.2 निजी कार्पोरेट क्षेत्र</p> <p>        II.3.3 सरकारी वित्तीय संस्थाएं</p> <p>        II.3.4 अन्य (विनिर्दिष्ट करें)</p> <p>    II.4 निम्नलिखित द्वारा जारी बांड/डिबेंचर/प्रतिभूति रसीदें/ पास-थ्रू-प्रमाणपत्र</p> <p>        II.4.1 सरकारी क्षेत्र के उपक्रम</p> <p>        II.4.2 निजी कार्पोरेट क्षेत्र</p> <p>        II.4.3 सरकारी वित्तीय संस्थाएं</p> <p>        II.4.4 अन्य (विनिर्दिष्ट करें)</p> <p>III प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के लिए कमी हेतु जमाराशियाँ</p>		

(आरआईडीएफ, सिडबी आदि)		
<b>ज्ञापन की मर्दे</b>		
1. प्राथमिक बाज़ार में शेयर/डिबेंचर/बांड में अभिदान 2. प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से अभिदान 3. उक्त मद सं में से (1.1+1.2), उधार के लिए गिरवी रखी गई प्रतिभूतियां (ए+ बी+ सी+ डी+ ई): ए) आरबीआई-एलएएफ रेपो/टर्म रेपो के तहत बी) एमएसएफ के तहत सी) एफ़एलएलसीआर के तहत डी) बाजार रेपो/अन्य उधार के तहत ई) निपटान गारंटी निधि (एसजीएफ) और इसी तरह के अन्य फंडों में योगदान		

*1 एक वर्ष अथवा उससे कम संविदात्मक परिपक्वता वाले*

*2 एक वर्ष से अधिक संविदात्मक परिपक्वता वाले*

(प्राधिकृत अधिकारियों के हस्ताक्षर)

1. (पदनाम)

2. (पदनाम)

**फॉर्म VIII**

**बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949**

(नियम 13ए)

(धारा 18 तथा 24)

भुगतान बैंक (पीबी) के लिए

1. बैंकिंग कंपनी का नाम:
2. रिटर्न प्रस्तुत करने वाले अधिकारी का नाम और पदनाम:
3. .... माह के लिए भारत में मांग तथा मीयादी देयताएं तथा भारत में नकद, स्वर्ण तथा भार रहित अनुमोदित प्रतिभूतियों में रखी गयी राशि का विवरण:

(संबंधित महीने की समाप्ति के बाद अधिकतम 20 दिनों के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किया जाए)

(निकटतम हजार रुपयों तक पूर्णांकित)

	निम्नलिखित दिन कारोबार की समाप्ति पर	
	महीने का पंद्रहवां दिन@	महीने का आखिरी दिन@
<p><b>भाग - क</b></p> <p>1. भारत में बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा अपने प्रायोजक बैंक से लिए गए किसी भी ऋण को छोड़कर)</p> <p>(ए) मांग देयताएं</p> <p>(i) भारतीय स्टेट बैंक और संबंधित नए बैंकों के चालू खातों में शेष राशि</p>		

<p>(ii) अन्य मांग देयताएं</p> <p>(बी) मीयादी देयताएं</p> <p><b>I का कुल जोड़</b></p> <p>II. भारत में अन्यो के प्रति देयताएँ (रिज़र्व बैंक, एक्जिम बैंक, राष्ट्रीय बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक, लघु उद्योग बैंक, राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 2 (सीसीसीआईआई) में परिभाषित अन्य विकास वित्तीय संस्थाओं से लिए गए उधारों को छोड़कर)</p> <p>(ए) मांग देयताएँ (बी) मीयादी देयताएँ</p> <p><b>II का कुल जोड़</b></p>	
<p>III हाथ में नकदी</p> <p>IV. रिज़र्व बैंक के पास चालू खाते में शेष</p> <p>V. भारत में बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां</p> <p>(ए) निम्नलिखित के पास चालू खाते में शेष</p> <p>(i) भारतीय स्टेट बैंक और संबंधित नए बैंक।</p> <p>(ii) अन्य बैंक तथा अधिसूचित वित्तीय संस्थाएं</p> <p>(बी) बैंकों तथा अधिसूचित वित्तीय संस्थाओं में अन्य खातों में शेष</p> <p>(सी) मांग तथा अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि</p> <p>(डी) बैंकों को अग्रिम (अर्थात् बैंकों से प्राप्य राशि)</p> <p>(ई) अन्य आस्तियां</p> <p><b>V का कुल जोड़</b></p> <p>VI. चालू खातों में निवल शेष = V(ए)(i) - I (ए)(i)</p> <p>VII. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 18 तथा 24 के प्रयोजन के लिए निवल देयताएं = बैंकिंग प्रणाली के प्रति निवल देयताएं + अन्य मांग तथा मीयादी देयताएं = (I-V)+II यदि (I-V) धनात्मक आंकड़ा है</p> <p><b>या</b></p>	<p>37</p>

यदि (I-V) ऋणात्मक आंकड़ा है तो केवल II

**भाग - ख (केवल गैर-अनुसूचित बैंकों के लिए)**  
VIII. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 18 के अंतर्गत आरक्षित नकदी की अपेक्षित न्यूनतम राशि (रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंतिम दिन की स्थिति के अनुसार VII का निर्धारित प्रतिशत)

IX. वास्तव में रखी गई आरक्षित नकदी = **III, IV और VI का कुल जोड़**

X. **IX में VIII से अधिक राशि**

**भाग - ग**  
XI. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 के अंतर्गत रखी जाने वाली अपेक्षित आस्तियों की न्यूनतम राशि (रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंतिम दिन की स्थिति के अनुसार VII का निर्धारित प्रतिशत)

(ए). भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 के अनुसार अनुसूचित बैंक द्वारा रखा जाने वाला अपेक्षित शेष

38

<p>(बी). अनुसूचित बैंक द्वारा रिज़र्व बैंक में वास्तव में रखा गया शेष</p> <p>(सी). (बी) में (ए) से अतिरिक्त राशि</p> <p>XIII. वास्तव में रखी गई आस्तियां (ए) बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 11(2) के अंतर्गत भारत के बाहर निगमित बैंकिंग कंपनी द्वारा रिज़र्व बैंक में जमा की गयी नकद राशि</p> <p>(बी) हाथ में नकद राशि अथवा गैर-अनुसूचित बैंक के मामले में, उपर्युक्त X के समक्ष दर्शाई गई (IX) में (VIII) से अधिक राशि, यदि कोई हो।</p> <p>(सी) उपर्युक्त XII(सी) के समक्ष दर्शाई गई रिज़र्व बैंक के पास अतिरिक्त शेष राशि यदि हो</p> <p>(डी) अनुसूचित बैंक द्वारा चालू खाते में रखा निवल शेष = उपर्युक्त VI</p> <p>(ई) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा अपने प्रायोजक बैंक के पास मांग अथवा मीयादी जमाराशियों में रखा शेष</p> <p>(एफ़) वर्तमान बाज़ार मूल्य से अनधिक मूल्य पर मूल्यांकित स्वर्ण</p> <p>(जी) रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मूल्यांकन की पद्धति के आधार पर मूल्यांकित भाररहित अनुमोदित प्रतिभूतियां</p> <p>(एच) बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 11(2) के तहत भारत के बाहर निगमित बैंकिंग कंपनी द्वारा रिज़र्व बैंक में जमा की गई अनुमोदित प्रतिभूतियां, जो रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित की गई मूल्यांकन पद्धति के आधार पर मूल्यांकित की गई हैं</p> <p>(आई) स्थायी जमा सुविधा योजना के अंतर्गत रिज़र्व बैंक में जमा की गई राशि</p> <p><b>(ए) से (आई) तक का जोड़</b></p> <p>XIV. XIII-XI (अतिरिक्त+, कमी-)</p>	
--	--

दिनांक

हस्ताक्षर

**टिप्पणी :** इस विवरणी के प्रयोजन के लिए 'बैंकिंग प्रणाली' शब्द का अर्थ होगा भारतीय स्टेट बैंक, संबंधित नए बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अन्य बैंकिंग कंपनियां, सहकारी बैंक तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 18 के स्पष्टीकरण के खंड (घ) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित वित्तीय संस्थाएं

@ तारीखें दें (जहां परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 (1881 का 26) के अंतर्गत पखवाड़े के अंतिम दिन को सार्वजनिक अवकाश है, वहां पूर्ववर्ती कार्य दिवस की तारीख दें)।